Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर के Mahan SHP - III Hydro Power Project 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु सूरजपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र घुई अंतर्गत प्रभावित संरक्षित वनभूमि 3.552 हे. एवं वन विकास निगम अन्तर्गत संरक्षित वनभूमि 6.032 हे. कुल 9.584 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 17 -09-2019

Place : Raipur

Name - R.P.Mandal

Designation - Additional Chief Secretary,
C.G. Govt.,
Forest Department

(आर. पी. मण्डल)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रलय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–15/2019/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 17 /09/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग,
व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन,
नागपुर (महाराष्ट्र) – 440001 ।

विषयः– **Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Mahan SHP-III Hydro Power Project (132 KV Chikni to Pratappur Transmission Line) area - 9.584 ha. regarding.**

संदर्भः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विद्युत/479–170/1977, दिनांक 08.08.2019 ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र क्र./व.प्रा./प्रबंध–476/2019/4717, दि. 05.09.2019 ।

——00——

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ, रायपुर, से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण **(Brief)** निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र – वनमण्डल सूरजपुर के परिक्षेत्र घुई अंतर्गत संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक–पी 226 रकबा 1.367 हे. तथा कक्ष क्रमांक – पी102 रकबा 2.185 हे. एवं वन विकास निगम अंतर्गत संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक–पी219 रकबा 6.032 हे. कुल सकल प्रभावित वनभूमि 9.584 हे. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।	1–20
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)– प्रकरण का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/TRANS/33519/2018** दिनांक 30.05.2018 को आबंटित किया गया है।	21 से 22 तक
3	वन क्षेत्र का विवरण – सूरजपुर वन मण्डल के परिक्षेत्र घुई अंतर्गत 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण में संरक्षित वनभूमि 3.552 हे. एवं वन विकास निगम अंतर्गत संरक्षित वन भूमि 6.032 हे. कुल सकल प्रभावित 9.584 हे. वनक्षेत्र प्रस्तावित है।	23
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण – 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रभावित गैर वन क्षेत्र का कुल रकबा 65.692 हे. है।	24 से 39 तक
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपाशीट 1:50000 स्केल मानचित्र पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित पारेषण लाईन चिन्हित कर संलग्न है। मानचित्र वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।	40, 41 एवं 272

क्रमशः 2

o/c

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर के पृष्ठ संख्या
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप – प्रस्तावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैंप 1:15000 स्केल मानचित्र पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित पारेषण लाईन चिन्हित कर संलग्न है। वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा जारी किया गया प्रबंधन नक्शा वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल सूरजपुर से प्रतिहस्ताक्षरित है।	42 से 47 तक
7	प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव – सूरजपुर वनमण्डल में परिक्षेत्र घुई अंतर्गत संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक – पी 226 रकबा 1.367 हे. तथा कक्ष क्रमांक – पी 102 रकबा 2.185 हे. एवं वन विकास निगम अंतर्गत संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक–पी219 रकबा 6.032 हे. कुल सकल प्रभावित वनभूमि 9.584 हे. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। परियोजना की कुल लागत 12.75 करोड़ रूपये है।	48 से 53 तक
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप – लघु जल विद्युत परियोजना महान–III से उत्पादित 24.75 मेगावाट गैर परम्परागित ऊर्जा को छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण लाईन कम्पनी के 132/33 के.व्ही. नजदिकी उपकेन्द्र प्रतापपुर तक जोडने हेतु 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।	54 से 55 तक
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र – आवेदक संस्थान वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड रायपुर छ.ग. के द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने का वचनवद्ध है, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है ।	56
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र – सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर के परिक्षेत्र घुई अंतर्गत 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर तक पारेषण लाईन निर्माण के लिए 3 विकल्पों का पता लगाया गया है। जिसमें प्रस्तावित मार्ग को ही अन्य 2 विकल्पों की अपेक्षा वन भूमि का न्यूनतम उपयोग एवं तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया है।	57 एवं 272
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र– 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण के लिए भारत सरकार (पर्यावरण एवं वन) नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं हैं।	58 से 63
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में)– 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण के लिए प्रपत्र–अ एवं ब में वृक्ष विदोहन विवरण संलग्न किया गया है। 27 मीटर चौड़ाई में कुल 1176 वृक्ष खडे है। कण्डक्टर के नीचे 3 मीटर की बेल्ट में आने वाले 538 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है जिनका विवरण प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 114 ए एवं 114 बी पर दिया गया है।	64 से 114
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस – 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण में प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल 20.000 हे. से कम होने के कारण लागू नही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जारी निर्देश हैण्ड बुक छायाप्रति संलग्न किया गया है।	115 से 117

क्रमशः 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण में सूरजपुर वनमंडल के संरक्षित वन भूमि 3.552 हे. एवं वन विकास निगम अंतर्गत संरक्षित वनभूमि 6.032 हे. कुल सकल प्रभावित 9.584 हे. वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि रकबा 9.584 हे. ग्राम पलारीडांड, प.ह.न. 10 रा.नि.म. सोनहत, तह. सोनहत जिला – कोरिया में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भू–स्वामियों के साथ अनुबंध कर पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। वनमंडलाधिकारी कोरिया ने पत्र क्रमांक 3587 दिनांक 10.026.2019 से भूमि को सिंचित वृक्षारोपण के उपयुक्त बताया है प्रस्ताव पृ. क्र.118 (a)।	118, 118(a) से 118 (V) तक
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा– 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण में गैर वनक्षेत्र के आसपास का नक्शा प्रस्ताव में संलग्न है।	119 से 128 एवं 209, 210 तक
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना – आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश/देशांश प्रजातिवार विवरण एवं डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट सहित) प्रस्ताव में संलग्न किया है।	129 से 210
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र – प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि रकबा 9.584 हे. ग्राम पलारीडांड, प.ह.न. 10 रा.नि.म. सोनहत, तह. सोनहत जिला – कोरिया में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। उक्त गैर वन भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	211 से 212
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	213
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियो एवं कर्मचारियों का विवरण – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।	214
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं हैं।	215
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र– प्रस्तावित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि रकबा 9.584 हे. ग्राम पलारीडांड, प.ह.न. 10 रा.नि.म. सोनहत, तह. सोनहत जिला – कोरिया में (निजी भूमि) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक द्वारा क्रय कर वन विभाग को हस्तांतरित एवं नामांतरित की जावेगी। अतः गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	216
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण होने के कारण केचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान की आवश्यकता नहीं हैं।	217

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
23	रिक्लेमेशन प्लान– प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं हैं।	218
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु प्रस्तावित है। अतः प्रकरण में IBM नागपुर से माईनिंग प्लान अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं हैं।	219
25	व्यवस्थापन प्लान – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र से किसी का विस्थापन नही होने का उल्लेख है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	220
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में मेसर्स वेनिका हाईड्रो प्रोजेक्ट प्रा. लि. रायपुर, वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर एवं मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का प्रतिवेदन (प्रपत्र I, प्रपत्र II एवं प्रपत्र III) में संलग्न है। आवेदित वन क्षेत्र का वन घनत्व 0.5 है। वन मंडलाधिकारी सूरजपुर ने स्थल निरीक्षण करने के उपरांत प्रस्ताव की राष्ट्रहित में अनुशंसा की है। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा ने वन मंडलाधिकारी सूरजपुर के सुझाव से सहमति दर्शाते हुए प्रस्ताव की जनहित में अनुशंसा की है।	221 से 230
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	231
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण परियोजना के अंतर्गत पडने वाले ग्राम पंचायत – मायूरधक्की, चिकनी, जजावल, गोरगी, पकनी, चन्दौरा एवं आमनदोन का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	232 से 239
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – सूरजपुर जिले की सूरजपुर वनमंडल में सम्मिलित आरक्षित वन एवं संरक्षित वन का विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। विवरण अनुसार वनमंडल में 176193.088 हे. वन भूमि है।	240
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ राज्य में सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल के अंतर्गत माह जून 2019 की स्थिति में स्वीकृत प्रकरणों की संख्या 25 एवं प्रत्यावर्तित वन रकबा 2580.524 हे. है। विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है ।	241 से 244
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – सूरजपुर के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् इसी श्रेणी में प्रत्यावर्तित वनभूमि 494.090 हे. (वनभूमि 397.787 हे. एवं राजस्व वनभूमि 96.303 हे.) है।	245
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण के अन्तर्गत 10 कि.मी. की परिधि में तमोर पिंगला अभ्यारण्य आता है। प्रस्तावित पारेषण लाईन तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा से 2.00 कि.मी. की दूरी से जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित पारेषण लाईन के निर्माण अन्तर्गत 10 कि.मी. की परिधि में ऐतिहासिक महत्व का कोई भी चिन्ह या स्थान नही होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।	246 से 252

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु प्रस्तावित है। अतः प्रकरण में 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्ताव स्थलों का चिन्हाकंन की आवश्यकता नहीं है।	253
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.-11-9/1998-FC.दिनांक 03–08–2009 एवं दिनांक 05–02–2013 के अनुक्रम में प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण परियोजना हेतु कलेक्टर सूरजपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 07.03.2019 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैयाथान तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रतापपुर द्वारा सत्यापित अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति के कार्यवाही विवरण की प्रति एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति पकनी/चिकनी का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	254 से 261
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण परियोजना हेतु राजस्व वनभूमि प्रस्तावित नहीं है। अतः राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रकरण में वन विकास निगम अंतर्गत संरक्षित वनभूमि वनखण्ड– चिकनी के कक्ष क्रमांक पी 219 रकबा 6.032 हे. प्रस्तावित है इस क्षेत्र हेतु मंडल प्रबंधक, सरगुजा परियोजना मंडल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	262 से 263
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग रायपुर द्वारा ECO-Value के आधार पर जो भी प्रत्याशा शुल्क निर्धारित होगा, आवेदक संस्थान वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड रायपुर छ.ग. द्वारा जमा किया जायेगा। आवेदक संस्थान के द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है ।	264
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जो भी राशि शर्त अनुसार निर्धारित की जाती है तो वह राशि CAMPA निधि में तत्काल जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। आवेदक संस्थान के द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है ।	265
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** आवेदित वनभूमि मृदा वर्गीकरण के पांचवे श्रेणी में आता है, जिसमें फसल उत्पादन की संभावना कम है एवं मृदा क्षरण की संभावना नहीं है।	266
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु 9.584 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण में आवेदित वन भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है एवं वन विभाग के नियमानुसार स्वीकृति मिलने के पूर्व कोई भी कार्य नही किया जावेगा। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	267

क्रमशः 5

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु 9.584 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। उक्त व्यपवर्तित प्रकरण 500 हेक्टेयर से कम होने के कारण वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं है।	268
41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण – आवेदक से पंजीयन शुल्क मूल्य 6000/– एवं प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क मूल्य 58,000/– कुल मूल्य 64000/– की राशि एक्सीस बैंक, बंगलौर के डिमांड ड्राफ्ट कमांक क्रमशः 057596 एवं 057597 दिनांक 07.05.2018 को वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर के नाम तैयार कर प्रस्तुत किया गया है । उक्त प्राप्त राशि को जिला कोषालय सूरजपुर में चालान क्रमांक क्रमशः 93 एवं 94 दिनांक 25.06.2018 के द्वारा वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर के पी. डी. खाता में जमा किया गया है ।	269
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण परियोजना खनन प्रकरण से सम्बन्धित नही होने के कारण वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत आवश्यक नहीं है– ऐसा प्रस्ताव में लेख किया गया है। नोडल कार्यालय का अभिमत यह है कि प्रस्तावित पारेषण लाईन तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी से जा रही है अतः वन्यप्राणी क्लीयरेंस की आवश्यकता है या नहीं इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)/मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक का अभिमत लिया जाना चाहिए। भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.08.2015 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति तथा वन्य प्राणी क्लीयरेंस दोनों समानांतर में एक साथ (Concurrently)प्रसंस्करण किया जा सकता है। उपरोक्त बिंदु के संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा अपने पत्र क्र. /व.प्रा./प्रबंध–476/2019/4717, दिनांक 05.09.2019 के माध्यम से अभिमत दिया गया है, जो निम्नानुसार है :– " उक्त प्रकरण में प्रस्तावित पारेषण लाईन तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा से 2 किमी. की दूरी से जा रही है। इस प्रकार के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक Z-11012/5/2012-IA II(T) dated 02-07-2012 एवं 11-596/2012-FC dated 27-12-2012 से स्पष्ट किया गया है, कि ऐसे प्रकरण जो राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य के ईको–सेन्सिटिव जोन में आते हैं तथा जिनमें पर्यावरण स्वीकृति (Environmental Clearence) की आवश्यकता नहीं है, में Standing Committee of National Wildlife Board for Wildlife Clearence की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है कि जिन National Park/Wildlife Sanctuary esa Eco-sensitive zone declare नहीं है वहां संरक्षित क्षेत्र से 10 Km. परिधि में Transmission Line हेतु Wildlife clearence की आवश्यकता नहीं है। Transmission Line के प्रकरणों में Environmental clearance की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, झारखण्ड) को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने पत्र क्रमांक 11–59/2012–एफ.सी.दिनांक 27.12.2012 द्वारा स्पष्ट किया है कि Transmission Line हेतु Wildlife clearence की आवश्यकता नहीं है।"	270

क्रमशः 6

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन के एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र संलग्न किया गया है। इस पारेषण लाईन के निर्माण में तीन विकल्पों में प्रभावी वनक्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:–	271 से 272

Sr. No	ALTERNATIVE	Length in Km.	Forest land in Hactare	Remark
1	Alternative-1	3.549	9.584	Proposed route has minimum involvement of forest land as well as trees.
2	Alternative-2	8.877	23.97	Route has highest line length & passes over hill and also involve highest forest land & trees as compare to alternative-1 & 3.
3	Alternative-3	7.518	20.3	Passes through the Tamor Pingla Sanctuary and aslo involve more forest land & trees as compare to alternative-1.

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
44	प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण – प्रस्ताव में अन्य कमियां नहीं है। अतिरिक्त जानकारी के रूप में प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिर्पोट तथा वनक्षेत्र में पारेषण लाईन के कन्डक्टर के नीचे बौने प्रजाति के औषधीय पौधे रकबा 1.065 हे. में रोपित किये जाने का प्रस्ताव संलग्न किया गया है । इसके अलावा वन मंडलाधिकारी कोरिया ने अपने पत्र क्रमांक/ मा. चि/ 1105 दिनांक 07.08.2019 से चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक–17 के पालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई निजी भूमि 9.854 हे. के वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पाये जाने का प्रमाण पत्र स्थल निरीक्षण के आधार पर जारी किया है।	273 से 311

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के **website** **www.parivesh.nic.in** पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर **Diversion** प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 2 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :– प्रस्ताव 2 प्रतियों में।

Rajput

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

क्रमशः 7

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 /09/2019

पृ.क्रमांक एफ–5–15/2019/10–2

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,

2.मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ।

4.परियोजना प्रबंधक, वेनिका हाइड्रो प्रोजक्ट प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

O/C